संख्या-06/2019/415/38-3-2019-2(17)5/2018

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 16 जुलाई, 2019

विषय:-ग्राम्य विकास विभाग में Gem के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के चिन्हीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के पत्र संख्या-876/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के अनुपालन में ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के अधीन मण्डल, जनपद एवं विकासखण्ड कार्यालयों में Gem पोर्टल के प्रयोग हेतु विभिन्न यूजर्स को निम्नवत प्राधिकृत करने का मुझे निदेश हुआ है:-

विभागाध्यक्ष/आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के अधीन विभिन्न स्तरों पर क्रय व्यवस्था हेतु पदनाम निर्देशन :-

क्र0 सं0	स्तर	स्तर पर कार्यालयों की संख्या	कार्यालय का नाम	पदनाम			
				प्राइमरी	बायर	कंसाईनी	पेइंग अथॉरिटी
1	मुख्यालय	1	आयुक्त, ग्राम्य विकास	संयुक्त आयुक्त	विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	1.कोषागार हेतु उपायुक्त/आहरण वितरण अधिकारी 2.योजना हेतु अधिकृत संबंधित अधिकारी।
2	मण्डल	18	संयुक्त विकास आयुक्त	प्रशासनिक अधिकारी या जे0डी0सी0 द्वारा नामित अधिकारी	संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	1.कोषागार हेतु जिला विकास अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी) 2.योजना हेतु संयुक्त विकास आयुक्त (संबंधित योजना में भुगतान हेतु दिये गये निर्देशानुसार)
3	जनपद स्तर	75	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	जिला विकास अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	जिला विकास अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी)
4	जनपद स्तर	75	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	मुख्य विकास अधिकारी	परियोजना निदेशक द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	परियोजना निदेशक द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	परियोजना निदेशक/मुख्य विकास अधिकारी (संबंधित योजना में भुगतान हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

							दिये गये निर्देशानुसार)
5	जनपद स्तर	65	उपायुक्त श्रम रोजगार	मुख्य विकास अधिकारी	उपायुक्त-श्रम रोजगार द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	उपायुक्त-श्रम रोजगार द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	मुख्य विकास अधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला अधिकारी (संबंधित योजना में भुगतान हेतु दिये गये निर्देशानुसार)
6	जनपद स्तर	65	उपायुक्त स्वत: रोजगार	मुख्य विकास अधिकारी	उपायुक्त-स्वत: रोजगार द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	उपायुक्त-स्वत: रोजगार द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	मुख्य विकास अधिकारी/उपायुक्त-स्वत: रोजगार (संबंधित योजना में भुगतान हेतु दिये गये निर्देशानुसार)
7	विकास खण्ड	821	खण्ड विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	1.कोषगार हेतु जिला विकास अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी) 2.योजना हेतु खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार (संबंधित योजना में भुगतान हेतु दिये गये निर्देशानुसार)

3- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 15.10.2018 के प्रस्तर-2(ग) के अन्तर्गत वेरिफाइंग अथॉरिटी के कार्य निम्नवत उल्लिखित है:-

1- विभाग के प्राइमरी यूजर के द्वारा ऑनलाइन किये जा रहे पंजीकरण का ऑनलाइन सत्यापन। इस हेतु वेरिफाइंग अथॉरिटी के पास एक एनआईसी की ई0-मेल आइडी होनी आवश्यक है। पंजीयन की सूचना इसी ई0-मेल पर आएगी।

2- इस के साथ वेरिफाइंग अथॉरिटी का यह भी दायित्व है कि वो विभाग द्वारा चिन्हित सभी प्राइमरी यूजर का पंजीकरण सुनिश्चित करवाये।

फलस्वरूप ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में वेरिफाइंग अथॉरिटी निम्नवत प्रतिनिधानित किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र0सं0	विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय का नाम	वेरिफाइंग अथॉरिटी का नाम, पद नाम
1	आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ	विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग (शाखा अधिष्ठान) - पदेन
2	महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ	विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग (शाखा अधिष्ठान) - पदेन
3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ	विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग (शाखा अधिष्ठान) - पदेन
4	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।	विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग (शाखा अधिष्ठान) - पदेन
5	अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ	विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग (शाखा अधिष्ठान) - पदेन
6	प्रबध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ	विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग (शाखा

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		अधिष्ठान)- पदेन
7	ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद लखनऊ	विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग (शाखा अधिष्ठान)- पदेन

उपरोक्तानुसार मुख्यालय स्तर के अधिकारियों के वेरिफाइंग अथॉरिटी विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग (शाखा अधिष्ठान) होगे। मुख्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष वेरिफाइंग अथॉरिटी होंगे, जो अपने-अपने कार्यालयों के प्राइमरी यूजर्स/सेकेण्डरी यूजर्स को नामित करेंगे।

4- उपरोक्तानुसार वेरिफाइंग अथॉरिटी अपने-अपने मुख्यालय/कार्यालय के प्राइमरी यूजर/सेकण्डरी यूजर (बायर, कांसइनी, पेइंग अथॉरिटी) को एक सप्ताह के अन्तर्गत नामित करते/कराते हुए आदेश निर्गत करेगे, जो निम्न शर्ते एवं प्रतिबंधों के अधीन होंगे:-

(1). सभी उपरोक्त चिन्हित प्राइमरी यूजर तथा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के प्राइमरी यूजर्स तत्काल अपना पंजीकरण जेम पर करवा लें। इस हेतु आपका आधार, आधार से जुडा हुआ मोबाइल नम्बर तथा NIC/Gem ई-मेल आई0 डी0 होनी चाहिए। वेरिफाइंग अथॉरिटी का विवरण ऊपर प्रदर्शित है। तदनुसार प्रविष्टि करें।

(2). अपने पंजीकरण के उपरान्त अपने अधीन चिन्हित सभी सेकेंडरी यूजर की भी उपरोक्त सूचना प्राप्त कर उनको भी पंजीकृत करवाएं।

(3). प्राइमरी/सेकेंडरी यूजर के पास NIC ई-मेल हो तो अच्छा है। परन्तु उनके पास NIC ई-मेल होना चाहिए अनिवार्य नहीं है। यदि प्राइमरी/सेकेंडरी यूजर के पास NIC ई-मेल नहीं है तो Gem ई-मेल प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रारूप पर एक्सेल स्प्रेडशीट में सूचना प्रविष्ट कर gemapplicant@gem-gov-in पर आवेदन करें:-

- नाम
- उपनाम
- पदनाम
- यूजर भूमिका (प्राइमरी/बायर/कंसाइनी)
- विभाग का नाम
- शहर/राज्य
- मोबाइल नम्बर
- पूरा पता

(4). सभी प्राइमरी यूजर का दायित्व होगा कि अपने अधीन समस्त सेकेंडरी यूजर को पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें एवं इसकी प्रगति की समीक्षा भी करें।

(5). सभी प्राइमरी और सेकेण्डरी यूजर का दायित्व होगा कि उनके स्तर पर जो भी क्रय/क्रय का पर्यवेक्षण हो, उसमें Gem पर उपलब्ध वस्तुओं/सेवाओं का क्रय केवल Gem से ही किया जाए।

(6). यदि किसी भी कार्यालय, विभाग, निगम या संस्था में पूर्व से जेम यूजर का पंजीकरण इस व्यवस्था से इतर हो गया है, तो ऐसे में निम्नलिखित कार्यवाही की जाए:-

यदि पूर्व पंजीकृत अधिकारी/कर्मचारी इस शासनादेश में नामित अधिकारी/कर्मचारी के ही कार्यालय मे कार्यरत हैं, तथा पूर्व में किये गये पंजीकरण के अधीन शासनादेश में वर्णित समस्त कार्यालय जेम यूजर्स से आच्छादित हैं तो ऐसी दशा में वर्तमान पंजीकरण को यथास्थान में रखा जाए, पर इस विचलन की सूचना वेरिफाइंग अथॉरिटी को भेज दी जाए। परन्तु यदि वर्तमान पंजीकरण से समस्त स्तर से समस्त कार्यालयों का जेम से आच्छादन सम्भव नहीं है, तो कृपया नयी प्रख्यापित व्यवस्था के अनुसार नवीन पंजीकरण करा लें। यदि पूर्व पंजीकरण के कारण तथा पंजीकरण बाधित हो रहा है, तो ऐसी दशा में पुराना पंजीकरण निरस्त करना आवश्यक होगा। इस हेतु प्रायमरी यूजर लॉगइन पर अपने अधीन सृजित/पंजीकृत किसी भी सेकेण्डरी यूजर को डि-एक्टिवेट किया जा सकता है। साथ ही प्रायमरी यूजर स्वयं भी डि-एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि प्रायमरी यूजर के डि-एक्टिवेट होने की दशा में उनके अधीन समस्त सेकेण्डरी यूजर डि-एक्टिवेट हो जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7). किसी अधिकारी के पद से स्थानान्तरण की दशा में पुराने अधिकारी अपने लॉगइन से नये अधिकारी का आधार फीड करके माइग्रेट करा सकता है। ऐसे में नये अधिकारी के आधार लिंक फोन पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, उसके उपरान्त नये अधिकारी के नाम खाता स्थानान्तरण हो जायेगा।

(8). उक्त के अतिरिक्त जेम पर किसी तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश में गठित जेम सेल के श्री प्रवीण बाधवानी, कन्सलटेंट (मोबाइल-8090482904 praveen.wadwani@intellectdesign.com) से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृपया जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या-06(1)/2019/415/38-3-2019-2(17)5/2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ
6. प्रबध निदेशक, उततर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
7. ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त स्वत:रोजगार/उपायुक्त श्रम रोजगार।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।